न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—10/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/10)

हीरा पुत्र सम्मा (मृतक) जरिए वारिसान—:

1. अल्लानूर पुत्र हीरा (मृतक) जरिए वारिसान—
   - 1/1 भंवर पुत्र अल्लानूर
   - 1/2 गफूर पुत्र अल्लानूर
   - 1/3 छोटी पुत्री अल्लानूर
   - 1/4 आजाद पुत्र अल्लानूर
   - 1/5 शारदा पुत्री अल्लानूर
   - 1/6 आसू पुत्री अल्लानूर
2. मोहम्मद नूर पुत्र हीरा (मृ) जरिये वारिसानः—
   - 2/1 सुवा पुत्र मोहम्मद नूर
   - 2/2 कमरूद्दीन पुत्र मोहम्मद नूर
   - 2/3 अमरूद्दीन पुत्र मोहम्मद नूर
   - 2/4 मुश्ताक पुत्र मोहम्मद नूर
   - 2/5 सुवा पुत्री मोहम्मद नूर
   - 2/6 अमीना पुत्री मोहम्मद नूर
   - 2/7 रसूला पुत्री मोहम्मद नूर
3. जफरू पुत्र हीरा (मृतक) जरिए वारिसानः—
   - 3/1 सुलतान पुत्र जफरू
   - 3/2 राजवीर पुत्र जफरू
   - 3/3 मोहन पुत्र जफरू
   - 3/4 चांद मोहम्मद पुत्र जफरू
   - 3/5 लक्ष्मी पुत्री जफरू
4. जमाल पुत्र हीरा
5. कालू पुत्र हीरा
6. नजीर पुत्र हीरा
7. नीजाम पुत्र हीरा
8. नीरा पुत्र हीरा
9. कूकी पुत्री हीरा

समस्त जाति चीता निवासी ग्राम वंदिया की डांग, सोमलपुर तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए कार्यालय तहसीलदार जिला अजमेर।
2. ग्राम पंचायत दौराई तहसील व जिला अजमेर जरिए सरपंच।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.10.2022 राजस्व वाद संख्या 81/2022.

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्रसिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 01.
3. रेस्पोडेंट संख्या 2 अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांकः— 30.05.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 81/2022 में पारित आदेश दिनांक 18.10.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस द्वारा एक नियमित राजस्व वाद वास्ते उदघोषणा खातेदारी/इंद्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसके संलग्न एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांटस की वादग्रस्त खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात ग्राम दौराई तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त राजस्व प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर्ड कर रेस्पोडेटस को जरिए सम्मन तलब किया तत्पश्चात उक्त प्रार्थना–पत्र बाबत अपीलांटस की बहस सुनी जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को अपने आदेश दिनांक 18.10.2022 को निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 81/2022 में पारित आदेश दिनांक 18.10.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवदेन किया कि प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पैरवी करने हेतु अपना अभिभाषक नियुक्त किया था जिन्होंने यह आश्वासन दे रखा था कि उन्हें हर तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है जब आवश्यकता होगी सूचित कर देंगे जिससके प्रार्थीगण पूर्व में अपने अधिवक्ता से नहीं मिल सके जब दिनांक 2.1.2023 को प्रार्थीगण ने वकील साहब से सम्पर्क कर अपने प्रकरण की जानकारी प्राप्त की, तो उन्होंने प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज होने की जानकारी दी एवं उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की हिदायत दी जिस पर प्रार्थीगण अपील जानकारी से अंदर मियान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजीयात बाबत उदघोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया गया है तथा अपीलांट द्वारा उक्त राजस्व वाद के साथ एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस बाबत अपीलांट के अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विवादित आराजीयात बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया गया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 18.10.2022 द्वारा अपीलांटस का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया। अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया गया था कि विवादित आराजीयात अपीलांट की खातेदारी

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

काश्तकारी की आराजीयात है जिस बाबत वाद बाहुल्यता को रोकने के उद्देश्य से विवादित आराजीयात बाबत रेस्पोडेंटस को जरिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक था किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने उक्त आदेश दिनांक 18.10.2022 द्वारा अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज कर रेस्पोडेंटस को अनावश्यक लाभ प्रदान करते हुए विवादित आराजीयात बाबत अन्यथा हस्तांतरण किए जाने की खुली छूट प्रदान कर दी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 18.10.2022 निरस्त योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीगण अपने पूर्वज हीरा वल्द सम्मा के समय से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अजमेर में प्रभाव मे आने से पूर्व ही मौके पर काबिज काश्त चल आ रहे है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में अपने के पश्चात विधितः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के अन्तर्गत वादग्रस्त आराजीयात के चौसाला खसरा नम्बर 182 रकबा 24–14–00 बीघा के बाबत् प्रार्थीगण के पूर्वज हीरा वल्द सम्मा को विधि अनुसार वादग्रस्त आराजीयात बाबत् सम्वत 2014 से पूर्व से ही काबिज काश्त चले आने के कारण राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 की पूर्ति होने के कारण दिनांक 21.01.69 को उक्त आराजीयात बाबत् खातेदारी/काश्तकारी बाबत् खातेदारी हक हीरा वल्द सम्मा के नाम प्रदान कर उक्त आराजीयात का नामान्तकरण दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान किया गया तथा उक्त आदेश दिनांक 21.1.1969 की पालना में नामान्तकरण संख्या 788 दिनांक 07.02.1969 को राजस्व कर्मचारियों द्वारा तस्दीक किया गया तथा उक्त चौसाला खसरा नम्बर 182 मिन रकबा 9–10–00 बीघा बाबत् चौसाला जमाबंदी सम्वत 2014 लगायत 2017 में प्रार्थीगण के पूर्वज हीरा वल्द सम्मा के नाम का अंकन किया गया। इस प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण के पूर्वज हीरा वल्द सम्मा का वादग्रस्त आराजीयात बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अजमेर में दिनांक 15.06.1958 को अजमेर में प्रभाव में आने के पूर्व से ही उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त आराजीयात बाबत् प्रार्थीगण के पूर्वज हीरा वल्द सम्मा के नाम खातेदारी/काश्तकारी अधिकारों का भी आदेश सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी किया जा चुका है। अपीलांटस द्वारा विवादित आराजीयात में निहित अपीलांट के हक एवं अधिकारों की रक्षा किए जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.10.2022 के द्वारा अपीलांट के उक्त प्रकरण बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज कर त्रुटि कारित की है। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत अपीलांटस के पक्ष में होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र को निरस्त कर दिया। विवादित आराजीयात बाबत अपीलांटस द्वारा अपने उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र के साथ विवादित आराजीयात की खसरा परिवर्तनशील एवं धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के नोटिस इत्यादि प्रस्तुत किए थे जिससे स्पष्ट था कि वादग्रस्त आराजीयात के मौके पर अपीलांटस का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को नजर अंदाज कर आदेश दिनांक 18.10.2022 पारित कर दिया। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

81/2022 में पारित आदेश दिनांक 18.10.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक(रेस्पोडेन्ट संख्या 01) ने दौरान जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी क्योकि अपीलांट के जो अधिवक्ता है वो ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनके अधिवक्ता थे इसलिए यह कहना कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं थी गलत है। अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान राजकीय अभिभाषक (रेस्पोडेंट संख्या 01) ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों की कभी खातेदारी दर्ज नहीं रही है तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व दस्तावेजों से यह सिद्ध है कि विवादित आराजीयात प्रार्थीगण अथवा उनके पूर्वजों के नाम कभी भी राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा अपनी पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज भी हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे साबित होता हो कि विवादित आराजीयात बाबत प्रार्थीगण का किसी प्रकार से कोई कब्जा काश्त है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी चारागाह में दर्ज है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 अस्वीकार कर खारिज किए जाने के आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होते हैं। न्यायहित में प्रार्थी का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। **अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।**

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अपीलांट ने अपनी अपील में यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीगण अपने पूर्वज हीरा वल्द सम्मा के समय से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अजमेर में प्रभाव मे आने से पूर्व ही मौके पर काबिज काश्त चल आ रहे थे तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात विधितः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के अन्तर्गत वादग्रस्त आराजीयात के चौसाला खसरा नम्बर 182 रकबा 24–14–00 बीघा के बाबत् प्रार्थीगण के पूर्वज हीरा वल्द सम्मा को विधि अनुसार वादग्रस्त आराजीयात बाबत् सम्वत 2014 से पूर्व से ही काबिज काश्त चले आने के कारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

राज.काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 की पूर्ति होने के कारण दिनांक 21.01.69 को उक्त आराजीयात बाबत् खातेदारी/काश्तकारी बाबत् खातेदारी हक हीरा वल्द सम्मा के नाम प्रदान कर उक्त आराजीयात का नामान्तकरण दर्ज किए तथा उक्त आदेश दिनांक 21.1.1969 की पालना में नामान्तकरण संख्या 788 दिनांक 07.02.1969 को राजस्व कर्मचारियों द्वारा तस्दीक किया गया तथा उक्त चौसाला खसरा नम्बर 182 मिन रकबा 9–10–00 बीघा बाबत् चौसाला जमाबंदी सम्वत 2014 लगायत 2017 में प्रार्थीगण के पूर्वज हीरा वल्द सम्मा के नाम का अंकन किया गया। इस प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण के पूर्वज हीरा वल्द सम्मा का वादग्रस्त आराजीयात बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अजमेर में दिनांक 15.06.1958 को अजमेर में प्रभाव में आने के पूर्व से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त आराजीयात बाबत् प्रार्थीगण के पूर्वज हीरा वल्द सम्मा के नाम खातेदारी/काश्तकारी अधिकारों का भी आदेश सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी किया जा चुका है। अपीलांटस द्वारा विवादित आराजीयात में निहित अपीलांट के हक एवं अधिकारों की रक्षा किए जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीनो प्रमुख घटक यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का विवेचन किये बिना ही प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किये है। हमने पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात से यह साबित नहीं होता है कि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण/अपीलांट का कब्जा काश्त हों तथा विवादित आराजी में से अधिकांश भूमि चारागाह है जिससे धारा 16 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है इसलिए चारागाह भूमि पर किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थीगण/अपीलांटस के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रमुख घटक प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के नहीं पाये जाने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया गया है, जो विधि सम्मत् है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 81/2022 में पारित आदेश दिनांक 18.10.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 30.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner